समक्ष माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर

अपील अन्तर्गत धारा 374(2) दंड प्रक्रिया संहिता

क्रिमिनल अपील क्रमांक- 2337/1999

तामो बुदरू पुत्र ज्ञामो पाण्डू, उम्र- 50 वर्ष, साकिन- ग्राम कन्द्रली मड़कामी पारा, थाना भान्सी, जिला - दन्तेवाड़ा, म०प्र०

अपीलार्थी जेल में है।

विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन, थाना भान्सी, जिला - दन्तेवाड़ा,

----प्रत्यर्थी

दोष सिद्धि दण्ड

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक अपील संख्या 2337/1999

युगल पीठ- माननीय न्यायमूर्ति श्री एल.सी. भादू एवं
माननीय न्यायमूर्ति श्री वी.के. श्रीवास्तव,

दिनांक 5/9/2006

श्रीमती किरण जैन, अपीलार्थी की अधिवक्ता।

श्री पी.के. वर्मा, अतिरिक्त लोक अभियोजक साथ में श्री अखिल मिश्रा, राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से पैनल अधिवक्ता।

पीठ पर उच्चरित मौखिक निर्णय।

न्यायमूर्ति एल.सी. भादू के अनुसार:

यह अपील दोषसिद्धि के निर्णय एवं दण्डादेश दिनांक 8-7-99 के विरुद्ध निर्देशित है, जो द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जगदलपुर द्वारा सत्र विचारण क्रमांक 47/99 में पारित किया गया है, जिसके द्वारा विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त/अपीलार्थी को अपनी पत्नी तामोदेवे की हत्या कारित करने हेतु भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध करते हुए उसे आजीवन कारावास तथा 500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है, तथा अर्थदण्ड के व्यतिक्रम की दशा में एक वर्ष के अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतने का आदेश दिया है।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में यह है कि घटना के दिन दिनांक 2-12-98 की रात लगभग 8 बजे अभियुक्त/अपीलार्थी तामो बुदरू भोजन करने के पश्चात सो रहा था, उसी समय मृतक तामोदेवे आई और कुल्हाड़ी से अभियुक्त पर यह कहते हुए हमला करने लगी कि उसने उसका भोजन क्यों खाया है, जिस पर अभियुक्त ने कुल्हाड़ी छीन ली और मृतक के सिर पर प्रहार किया, जिसके परिणामस्वरूप मृतक को घातक चोट आई और उसकी मृत्यु हो गई।

प्रकरण की सूचना अभि.सा.-1 सुकमन द्वारा थाना भांसी को दी गई, जिस पर प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श-पी/1) दर्ज की गई। सामान्य अन्वेषण के पश्चात, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

दंतेवाड़ा के न्यायालय में आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने प्रकरण सत्र न्यायाधीश, जगदलपुर को उपार्पित कर दिया, जहाँ से विचारण हेतु प्रकरण अंतरण पर द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को प्राप्त हुआ।

अभियोजन ने अभियुक्त के विरुद्ध आरोप सिद्ध करने के लिए 6 साक्षियों की परीक्षा कराई। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अभियुक्त का कथन अभिलिखित किया गया, जिसमें उसने अभियोजन साक्ष्य में उसके विरुद्ध दर्शित साक्ष्य से इनकार किया और कथन कि उसकी पत्नी तामोदेवे उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर रही थी और गिरने के कारण उसे चोट आई थी। विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त के अधिवक्ता और अतिरिक्त लोक अभियोजक को सुनने के पश्चात अभियुक्त को इस निर्णय की कंडिका-1 में उल्लेखित अनुसार दोषसिद्ध एवं दण्डित किया।

हमने पक्षकारों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अभियुक्त/अपीलार्थी के अधिवक्ता ने मृतक तामोदेवे की आपराधिक मानव वध की प्रकृति पर विवाद नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, अभि.सा.-3 दसरू और अभि.सा.-4 कमराम के साक्ष्य से, जिनके समक्ष अभियुक्त ने न्यायिकेत्तर संस्वीकृतिकी थी, और अभि.सा.-5 डॉ. बी.के. तिर्की के चिकित्सीय साक्ष्य से यह स्थापित होता है कि मृतक तामोदेवे की मृत्यु की प्रकृति आपराधिक मानव वध थी।

जहाँ तक प्रश्नगत अपराध में अभियुक्त/अपीलार्थी की संलिप्तता का संबंध है, उस पर भी अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा विवाद नहीं किया गया है। अभि.सा.-1 सुकमन, जो अभियुक्त का भाई है, ने कथन किया है कि अभियुक्त उसके घर आया और उसके समक्ष न्यायिकेत्तर संस्वीकृति की कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। इसके बाद, पंचायत बुलाई गई और पंचायत के समक्ष भी अभियुक्त ने अपराध कारित करने के संबंध में न्यायिकेत्तर संस्वीकृति की। उपरोक्त साक्ष्य की पुष्टि अभि.सा.-3 दसरू के साक्ष्य से हुई है। यद्यपि इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया था, किंतु लोक अभियोजक द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में उसने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि अभियुक्त ने उसके समक्ष न्यायिकेत्तर संस्वीकृति की थी कि चूंकि उसकी पत्नी तामोदेवे (अब मृतक) उससे इस बात पर झगड़ा कर रही थी कि उसने उसका खाना खा लिया और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, इसलिए उसने उसी कुल्हाड़ी से उस पर हमला कर दिया ,

जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। अभि.सा.-4 कामाराम ने भी उपरोक्त साक्ष्यों की संपुष्टि की और कथन किया कि अभियुक्त ने पंचायत के समक्ष न्यायिकेत्तर संस्वीकृति की थी कि उसने मृतक पर कुल्हाड़ी से हमला किया था । अभि.सा.-5 डॉ. बी.के. तिर्की ने भी यह कथन किया है कि मृतक के सिर पर चोट थी, जिसके परिणामस्वरूप पैराइटल बोन (पार्श्व कपाल अस्थि) में अस्थिभंग हुआ था जो घातक था और मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त था। अतः, उपरोक्त साक्षियों के साक्ष्य से यह स्थापित होता है कि अभियुक्त ने मृतक पर हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप उसे सिर पर घातक चोट आई और उसने चोट के कारण दम तोड़ दिया। अत: अभियुक्त की संलिप्तता स्थापित होती है।

अभियुक्त/अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि यदि अभियोजन के साक्ष्य और मामले को यथावत (जैसा है वैसा ही) स्वीकार कर लिया जाए, तो भी अभियुक्त/अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत अपराध नहीं बनता है; इसका कारण यह है कि अभियुक्त अपना भोजन करने के पश्चात सो रहा था, उसी समय मृतक कुल्हाड़ी लेकर आई और उस पर यह कहते हुए हमला किया कि उसने उसका भोजन क्यों खाया है। इससे अभियुक्त उत्तेजित हो गया, वह उठा और उसने अचानक कुल्हाड़ी छीन ली तथा आकस्मिक विवाद में मृतक पर प्रहार किया। अतः अभियुक्त का मामला भारतीय दण्ड संहिता की धारा 300 के अपवाद IV (चार) के अंतर्गत आता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दूसरी ओर, राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने विचारण न्यायालय के निर्णय का समर्थन किया।

पक्षकारों के विद्वान् अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने के पश्चात हमने अभिलेख का भी परिशीलन किया है। अभि.सा.1 सुकमन ने कथन किया है कि अभियुक्त आया और उसने कहा कि मृतक तामोदेवे ने उस पर हमला किया था, इसलिए उसने कुल्हाड़ी से मृतक पर प्रहार किया। अभि.सा.3 दसरू, जिसके समक्ष अभियुक्त ने न्यायिकेत्तर संस्वीकृति की थी, ने प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि अभियुक्त ने उसे सूचित किया था कि जब वह सो रहा था तब मृतक कुल्हाड़ी लेकर आई और उस पर यह कहते हुए हमला किया कि उसने उसका भोजन क्यों खाया है, जिस पर उसने कुल्हाड़ी छीन ली और अचानक मृतक पर हमला कर दिया। अभि.सा.4 कमराम का साक्ष्य भी इसी प्रकार का है। उपरोक्त साक्षियों के साक्ष्य की पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य से होती है।

इसके अतिरिक्त, अभि.सा.6 टी.आर. नागवंशी (अन्वेषण अधिकारी) ने अपने साक्ष्य की कंडिका -4 में कथन किया है कि उसने दिनांक 12-4-98 को अभियुक्त को गिरफ्तार किया था और उसके शरीर के परीक्षण पर उसने पाया कि उसकी बाईं आंख की भौंह पर चोट थी, और इसलिए उसने अभियुक्त को प्रदर्श-पी/16 के अंतर्गत चिकित्सीय परीक्षण हेतु भेजा था। प्रदर्श-पी/16 के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि अभियुक्त की भौंह पर चोट थी। अतः अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य से यह स्थापित होता है कि प्रथम दृष्टया मृतक कुल्हाड़ी लेकर आई और उसने अभियुक्त पर हमला किया, जिससे अभियुक्त उत्तेजित हो गया, उसने कुल्हाड़ी छीनी और मृतक पर प्रहार किया। इस मामले में कोई पूर्व-चिन्तन या तैयारी नहीं थी। अभियुक्त ने अचानक झगड़े में, भावावेश की तीव्रता में और आकस्मिक विवाद होने पर, बिना कोई अनुचित लाभ उठाए या क्रूर या असामान्य तरीके से कार्य किए बिना मृतक पर हमला किया, अतः अभियुक्त का मामला भारतीय दण्ड संहिता की धारा 300 के अपवाद IV (चार) के अंतर्गत आता है। इसलिए विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोषसिद्ध करने का निष्कर्ष कायम नहीं रखा जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

परिणामस्वरूप, अपील अंशतः स्वीकार की जाती है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत अभियुक्त/अपीलार्थी पर अधिरोपित दोषसिद्धि और दण्ड अपास्त किया जाता है, इसके स्थान पर, उसे धारा 304 भाग-II के अंतर्गत दोषसिद्ध किया जाता है और 7 वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया जाता है। अभियुक्त दिनांक 4-12-98 से हिरासत में है, इस प्रकार वह पहले ही 7 वर्ष का कारावास भुगत चुका है, अतः यदि वह किसी अन्य प्रकरण में वांछित न हो, तो उसे तत्काल मुक्त किया जाए।

सही/-
एल.सी. भादू
न्यायाधीश

सही/-
वी.के. श्रीवास्तव
न्यायाधीश

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक

प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur